अन्तर्जातीय सम्बन्ध एवं राजनीतिक सहभागिता

कु० चम्पा आर्या,
शोध छात्रा,
समाजशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

डॉ० निर्दोषिता बिष्ट,
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र, रा०स्ना०महा०, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

शोध सारांश

जजमानी व्यवस्था अन्तर्जातीय संबंधों पर आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में उस परम्परागत सामाजिक जीवन तथा दर्शन को स्थायित्व प्रदान करना था जिसमें धर्म सामूहिकता, आनुवांशिक व्यवसाय और जाति संस्तरण को आवश्यक समझा जाता रहा है।

भारत में जाति व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति के व्यवसाय और पारस्परिक कर्त्तव्य परम्परा के द्वारा ही निर्धारित है तथा किसी भी जाति समूह को अपने व्यवसाय और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसी व्यवस्था को विकसित किया जाये जिसकी सहायता से भिन्न–भिन्न व्यवसायों द्वारा आजीविका उपार्जित करने जातियों को भी कार्यात्मक रूप से एक दूसरे का सहयोगी बनाया जा सके। ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत सेवाओं के पारस्परिक आदान–प्रदान तथा कार्यात्मक महत्व की इसी व्यवस्था को 'जजमानी' व्यवस्था कहते हैं। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का एक व्यावसायिक स्वरूप है जिसके द्वारा प्रत्येक जाति से एक विशेष व्यवसाय करने तथा उसके द्वारा अन्य जातियों की सेवा करने की आशा की जाती है। यह व्यवस्था प्रत्येक जाति को एक दूसरे से भिन्न व्यावसायिक अधिकार और कर्त्तव्य सौंपती है जिनमें साधारणतया किसी भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार या मान्यता प्रदान नहीं की जाती।

भारतीय ग्रामीण जीवन में जजमानी व्यवस्था आज भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। जजमानी व्यवस्था ने भारत की सामाजिक संरचना को अनेक प्रकार से संगठित बनाने का प्रयास किया। वर्तमान समय में जजमानी व्यवस्था की संरचना तथा प्रकार्यों में अनेक परिवर्तन हो जाने के पश्चात् गाँव में इस व्यवसाी को एक उपयोगी संस्था के रूप में देखा जा सकता है।

जजमानी व्यवस्था आज तेजी से विघटित हो रही है। भारतीय ग्रामीण समुदाय में यह संस्था एक लम्बी अवधि तक प्रभावपूर्ण बनी रहने के पश्चात् अब एक जीर्ण–क्षीर्ण और विघटित संस्था के रूप में विद्यमान रह गयी है। गाँव में कुछ व्यक्ति आज भी इस व्यवस्था की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं और इसे स्थायी बनाने के पक्ष में हैं लेकिन ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक संरचना में इतना परिवर्तन हो चुका है कि जजमानी व्यवस्था को इसके पूर्व स्वरूप में संगठित कर पाना संभव प्रतीत नहीं होता। इस व्यवस्था का अस्तित्व प्राथमिक रूप से जाति व्यवस्था के एक निश्चित संस्तरण तथा उसके प्रति ग्रामीणों के अटूट विश्वास से सम्बद्ध था। आज जैसे–जैसे जाति व्यवस्था को संरचनात्मक स्वरूप समाप्त होता जा रहा है तथा विभिन्न जातियाँ राजनीतिक दबाव समूहों के रूप में उभर रहीं हैं, जजमानी व्यवस्था के स्थिरता को बनाए रखना भी अब संभव प्रतीत नहीं होता है।

मूल अवधारणाएँ – *अन्तर्जातीय सम्बन्ध, राजनीतिक सहभागिता, ग्रामीण, पंचायती राज।*

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जब तक जनता की विकास के कार्यों में सहभागिता नहीं होती है, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप स्थापित नहीं होता है। किसी भी देश में सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किसी एक व्यक्ति अथवा सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है। जिस देश का आकार जितना बड़ा होता है, उसमें सत्ता को केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक विकेन्द्रित करना उतना ही अधिक आवश्यक होता है। लोकतंत्र की प्रमुख मान्यता यह है कि राज्य की सत्ता जनता के हाथों में होनी चाहिए। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि देश की छोटी से छोटी इकाई अथवा किसी भू–भाग के लोगों में राजनीतिक जागरूकता का भी विकास हो।

समाज में सामाजिक संरचना के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक सम्पूर्ण जनता को शासन में सहभागिता का अवसर प्राप्त नहीं होता है तब तक वहाँ की जनता में कुशल नेतृत्व को विकसित नहीं किया जा सकता है। प्रजातंत्र के सिद्धान्त रूप में शक्ति जनता में ही निहित होती है। परन्तु व्यवहार रूप में इसका प्रयोग कुछ सीमित संस्थाओं और राजनीतिक सम्भ्रान्त लोगों के हाथों में केन्द्रित होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का संविधान देश में लागू हुआ। वयस्क मताधिकार के आधार पर आम चुनाव सम्पन्न कराये गए। विधानसभाओं एवं लोकसभाओं के लिए सदस्य चुने गए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का गठन देश में हुआ। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारें काम करने लगीं। भारत के चहुँमुखी विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। ग्रामीण पुनर्निर्माण की दृष्टि से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। इतना सब करने के बाद भी विकास के कार्यों में जनता की सहभागिता नहीं के बराबर रही। सरकार द्वारा चलाई गई अच्छी से अच्छी योजनाएँ विकास को गति प्रदान नहीं कर पायीं। सरकार द्वारा इसका हल ढूँढा गया– शक्ति के विकेन्द्रीकरण के रूप में। यदि निर्णय लेने की शक्ति ग्रामीण स्तर तक जनता के प्रतिनिधियों को सौंप दी जाए तो इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। सरकार द्वारा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया। गाँवों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई तथा नगरों एवं महानगरों के लिए नगर पालिकाओं एवं निगमों की स्थापना की गई।[1]

भारत गाँवों का देश है। गाँवों की उन्नति एवं प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। भारतीय संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कदम उठायेगा, इन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा, जिससे कि ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य सकें। वस्तुतः हमारा जनतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन के कार्यो में हाथ बटाए। भारत में जनतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण जनों का शासन से कितना अधिक प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क स्थापित हो जाता है।[2] इन्हीं दशाओं को ध्यान में रखते हुए आज सभी लोकतांत्रिक देशों में स्थानीय शासन की एक ऐसी संरचना तैयार की गई है, जिसके द्वारा एक गाँव, कस्बे या नगर के निवासी अपने कुछ प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों के अन्तर्गत उसके शासन की व्यवस्था स्वयं कर सकें। भारतीय गाँवों में जहाँ एक समय में राजनीतिक जागरूकता की कमी पायी जाती थी, वहीं आज इसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व जहाँ कुछ समय पूर्व तक पूर्णतया आनुवांशिक था उसका स्थान आज लोकतंत्र ने ले लिया है। आन्द्रे बेतई[3] ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गाँव का अध्ययन करके ग्रामीण शक्ति संरचना के परम्परागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। गाँव में परम्परागत

शक्ति संरचना मुख्य रूप से भू–स्वामित्व तथा उच्च आर्थिक स्थिति से सम्बद्ध थी, जिसके फलस्वरूप गाँव में उन ब्राह्मणों को शक्ति संरचना में सर्वोच्च सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले हुए थे।

नगरीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा के प्रचार–प्रसार आदि के प्रभावों से इस गाँव की परम्परागत शक्ति संरचना में व्यापक परिवर्तन होने लगे हैं। आज गाँवों में प्रत्येक व्यक्ति को भी नेतृत्व में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति संरचना तथा राजनीतिक सहभागिता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आज गाँवों का राजनीतिक जीवन गाँवों तक ही सीमित न रहकर विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रभावित होने लगा है। के.एम. कपाड़िया[4] ने अपने अध्ययन में कहा है कि "नगरीकरण तथा शिक्षा ने एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित की है जिसके प्रभाव से वंशवाद एवं परिवारवाद जैसी भावनाओं का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। गाँवों में नई पीढ़ी के लोग अब प्रजातांत्रिक मूल्यों से प्रभावित हुए हैं।"

आज गाँवों में राजनीतिक दलों के प्रवेश से ग्रामीणों में वैचारिक स्तर पर विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रसार हुआ है। राजनीतिक जागरूकता में आधुनिक अभिकरणों जैसे– समाचार पत्र, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन, संचार के साधनों, यातायात के साधनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। श्वेता अग्रवाल[5] ने अपने अध्ययन में बताया है कि "परिवर्तन की जिन नवीन शक्तियों ने ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन उत्पन्न किए हैं, उनमें नगरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण तथा जन–संचार के साधनों के विकास ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। जाति पर आधारित परम्परागत आर्थिक–सामाजिक और धार्मिक सम्बन्ध आज परिवर्तित हो रहे हैं। ग्रामीण समुदाय की राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा शक्ति संरचना, नेतृत्व और गुटबन्दी की प्रकृति परिवर्तित हो रही है।"

वर्तमान समय में ग्रामीण खाली समय में केवल गाँव की समस्याओं पर ही विचार नहीं करते, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं। राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव से अब ग्रामीण नेताओं, सरकारी अधिकारियों तथा विकास योजनाओं से सम्बद्ध कर्मचारियों के शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने लगे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण राजनीति अब सम्पूर्ण देश के राजनीतिक जीवन से सम्बद्ध हो चुकी है। अखिलेश चन्द्र[6] ने अपने अध्ययन में बताया है कि "सूचना क्रान्ति से ग्रामीण जनजीवन में भी बदलाव आए हैं। अब ग्रामीण महिलाएँ घूँघट से बाहर आकर कम्प्यूटर और मोबाइल का उपयोग करने लगी हैं। सूचना क्रान्ति से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।" भारतीय ग्रामीण समाज की शक्ति संरचना को समझने के लिए इसके अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को समझना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में एक लम्बी अवधि तक ग्रामीण शक्ति संरचना की परम्परागत प्रकृति ने जिस रूप में ग्रामीण जीवन तथा वैयक्तिक व्यवहार प्रतिमानों को प्रभावित किया है, उसमें आज व्यापक परिवर्तन उत्पन्न होने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र परम्परागत तथा नवीन व्यवसायों के संगम स्थल बनते जा रहे हैं। जजमानी व्यवस्था के बजाय ग्रामीण समुदाय आज सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर होता जा रहा है जो ग्रामीण व्यावसायिक संरचना का नवीन स्वरूप है।[7] गाँवों की सामाजिक एवं व्यावसायिक संरचना एक नये सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन के स्वीकार कर रही है।[8]

पहले जाति पंचायतें ग्रामीण शक्ति संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थीं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण नेतृत्व के परम्परागत स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत एक धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर उभरा, जिसने ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की छाप छोड़ी। जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में भी परिवर्तन तेजी से होने लगे। अब गाँवों में सभी जाति के लोग समान रूप से राजनीति में शामिल होने, चुनाव लड़ने तथा किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

शोध अभिकल्प – प्रस्तुत शोध प्रपत्र अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में राजनीति सहभागिता, पंचायती राज का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों, आरक्षण नीति एवं महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने आदि के बार में अध्ययन करना है।

समग्र एवं प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन का समग्र उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मण्डल स्थित अल्मोड़ा जनपद का भिकियासैन ब्लॉक है। अध्ययन समग्र के अन्तर्गत कुल 376 ग्राम हैं। इन 376 में से उद्देश्यपूर्ण निदर्श पद्धति द्वारा 2 ग्रामों का चयन किया गया। इस आधार पर भनरिया काली व भिकियासैन ग्राम चयनित किए गए। इन गाँवों में परिवारों की संख्या क्रमशः 291 व 523 थी। इन दोनों ही गाँवों में से समानुपातिक संस्तरित निदर्शन पद्धति द्वारा 40 प्रतिशत परिवारों को चयन किया गया। इस प्रकार अन्तिम रूप से अध्ययन हेतु परिवारों की क्रमशः 116 तथा 209 अर्थात् कुल 325 परिवार अध्ययन के लिए चयनित निदर्श होंगे। परिवार के मुखिया ही अध्ययन की इकाई होंगे।

प्रस्तुत अध्ययन में क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि से सम्बन्धित तथ्यों के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। समाज में सभी मनुष्यों की राजनीतिक क्षेत्र में रूचि रहती है। लेकिन वर्तमान समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों की राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक जागरूकता का स्तर कैसा है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करना इस अध्ययन का मुख्य विषय है। उत्तरदाताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक जागरूकता, राजनीति में सहभागिता से सम्बन्धित तथ्यों को तालिकाओं के माध्यम से इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

समाज में सामाजिक संरचना के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत जैसे देश में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण विकास निर्विवाद रूप से एक उच्च प्राथमिकता का विषय है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना आदि आता है, जिससे ग्रामीण भी अपना विकास कर सकें।[9] ग्रामीण विकास में जब ग्रामीणों की सहभागिता होगी तब विकास को नई दिशा दी जा सकती है। यह तभी सम्भव हो पायेगा जब ग्रामीणों में राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक सहभागिता होगी। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से शोधार्थिनी ने जब इस विषय में प्रश्न किया कि क्या आप राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं तो इसके प्रत्युत्तर में

उत्तरदाताओं द्वारा जो बताया गया, उसे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.1

राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं।	87	26.77
2.	राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं करते हैं।	73	22.46
3.	राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी कभी–कभी करते हैं।	107	32.93
4.	राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बहुत कम करते हैं।	58	17.84
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के सम्बन्ध में 26.77 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं। 22.46 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं करते हैं। 32.93 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में कभी–कभी भागीदारी करते हैं तथा 17.84 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम भागीदारी करते हैं।

राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है, जिसमें केन्द्र सरकार तथा विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकारें हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली व बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। राष्ट्रीय पार्टियाँ वे हैं जो चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हैं। उन्हें यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है।[10] समाज में प्रत्येक मनुष्य अपनी पसन्द एवं आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सरकारों को अधिक महत्ता देता है। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जब प्रश्न किया गया कि आपको किस राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी है, तो इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जो उत्तर दिए, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.2

राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी है।	80	24.62
2.	भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी है।	79	24.31
3.	बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है।	67	20.62

4.	आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी है।	53	16.31
5.	सभी पार्टियों के बारे में जानकारी है।	35	10.77
6.	किसी भी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है।	11	3.37
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को राजनीतिक पार्टी के विषय में जानकारी होने के सम्बन्ध में 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी है। 24.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी है। 20.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है। 16.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी है। 10.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी है तथा 3.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं को किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है।

राजनीतिक संगठनों की सदस्यता लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

ग्रामीण समाज में सभी जाति के व्यक्ति समान रूप से राजनीति में अपनी सहभागिता करने, चुनाव लड़ने, अपने मत का प्रयोग करने तथा किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता प्राप्त किए होते हैं। चयनित अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं द्वारा किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में जब शोधार्थिनी ने उनसे इस विषय में प्रश्न किया कि क्या आपने किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता ग्रहण की है तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं ने अपने जो उत्तर दिए, उन्हें निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.3

राजनीतिक संगठनों की सदस्यता लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण की है।	169	52.00
2.	राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण नहीं की है।	91	28.00
3.	कोई उत्तर नहीं।	65	20.00
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण की है। 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की स्थिति पर पड़े प्रभावों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के एक साधन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था ने भारत के ग्रामीण जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। पंचायती राज व्यवस्था देश के सभी भागों में कार्यान्वित है। पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप ग्रामीणों को मतदान का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार एवं गाँव के विकास में अपनी सहभागिता देने का अधिकार मिला है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण जाति संरचना में केवल ध्रुवीकरण की प्रक्रिया ही आरम्भ नहीं हुई, बल्कि विभिन्न जातियों को एक–दूसरे के निकट सम्पर्क में आने के अवसर भी प्राप्त हुए हैं।[11] पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीणों की स्थिति को न केवल मजबूत किया है, वरन् महिला एवं युवा मंगल दलों को गाँव के विकास कार्यक्रमों में जोड़कर पंचायतों को मजबूत किया है। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की स्थिति पर पड़े प्रभावों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.4

पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की स्थिति पर पड़े प्रभावों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी है।	89	27.39
2.	इससे पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।	115	35.38
3.	इससे गाँवों का विकास हुआ है।	59	18.15
4.	इससे ग्रामीणों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है।	49	15.08
5.	कोई उत्तर नहीं।	13	4.00
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में 27.39 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। 35.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 18.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से उनके गाँवों का विकास हुआ है। 15.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था से गाँवों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है तथा 4 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती राज

व्यवस्था से उनकी स्थिति पर पड़े प्रभावों के विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

एम.एन. श्रीनिवास[12] के अनुसार पंचायती राज की स्थापना से गाँवों में विभिन्न जातियों के बीच आत्म–सम्मान की भावना बढ़ने के साथ ही शक्ति की एक अनुभूति का संचार हुआ है। इससे गाँवों में जनसाधारण की सहभागिता बढ़ती जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों की सहभागिता को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.5

पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता बढ़ी है।	173	53.23
2.	पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता नहीं बढ़ी है।	114	35.08
3.	कोई उत्तर नहीं।	38	11.69
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर 53.23 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता बढ़ी है। 35.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता नहीं बढ़ी है। इसके साथ ही 11.69 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता का स्वर्णिम काल केन्द्रीय पंचायती राज अधिनियम 1992 से आरम्भ होता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था के नवीन संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई स्थान आरक्षित कर दिया गया था। ग्रामीण महिलाओं को राजनीति में सशक्त करने के लिए यह देश का सबसे बड़ा आन्दोलन था। उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण अब 50 प्रतिशत कर दिया गया है।[13] पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होने से उनकी स्थिति पर पड़े प्रभावों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.6

पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है।	197	60.62
2.	पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।	90	27.69
3.	कोई उत्तर नहीं।	38	11.69
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में 60.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ ही 11.69 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावों से ग्रामीण समाज में परम्परागत जाति संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जिन गाँवों में कुछ समय पूर्व तक सभी जातियाँ एक–दूसरे से पृथक समुदाय के रूप में अपना अस्तित्व बनाये हुए थीं, पंचायती राज व्यवस्था के परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक दूरी समाप्त हो गई है। आज ग्रामीण समाज में पंचायती राज व्यवस्था से अनुसूचित जाति की महिलाओं में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं की पंचायतों में सहभागिता से जाति, धर्म और नातेदारी के परम्परागत आधार दुर्बल हुए हैं।[14] पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका – 4.7

पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है।	123	37.85
2.	अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सामान्य है।	151	46.46
3.	अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।	30	9.23
4.	कोई उत्तर नहीं।	21	6.46
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में 37.85 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। 46.46 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सामान्य है। 9.23 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तथा 6.46 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

आरक्षण नीति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

स्वतंत्रता के पश्चात् देश के संविधान ने समानता का दर्शन देकर न केवल अस्पृश्यता एवं जातीय भेदभाव को वैधानिक दृष्टि से समाप्त कर दिया, बल्कि आरक्षण व्यवस्था से समाज के कमजोर वर्गों को मजबूती मिली, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्ग समाज की मुख्यधारा से जुड़ने लगा। भारत जैसे विशाल देश के चहुँमुखी विकास के लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करना नितान्त आवश्यक था। जब तक ग्रामीण समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं किया जायेगा, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। देश के नागरिकों के समग्र और सतत् विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।[15] संविधान में प्रदत्त कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीति के सम्बन्ध में अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जब प्रश्न किया गया कि आरक्षण नीति के सम्बन्ध में आपका क्या दृष्टिकोण है तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा जो बताया गया, उसे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.8

आरक्षण नीति के सम्बन्ध में दृष्टिकोण के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	आरक्षण व्यवस्था ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा है।	189	58.15
2.	आरक्षण व्यवस्था ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से नहीं जोड़ा है।	98	30.16
3.	कोई उत्तर नहीं।	38	11.69
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आरक्षण नीति के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण एवं मनोवृत्ति के सम्बन्ध में 58.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार आरक्षण व्यवस्था ने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद की है। इसके विपरीत 30.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आरक्षण व्यवस्था ने समाज के कमजोर वर्गों को समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा है। जबकि 11.69 प्रतिशत उत्तरदाता आरक्षण नीति के औचित्य के सम्बन्ध में तटस्थ दिखाई दिए और उन्होंने इस विषय में अपना कोई उत्तर नहीं दिया।

राजनीति में रूचि लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, संचार माध्यमों का सर्वव्यापीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत संवैधानिक समानता, विधारधारा की स्वतंत्रता आदि नये मूल्य विकसित हुए हैं। इन सब मूल्यों ने ग्रामीण समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि की है।[16] भारतीय समाज में असमानता की जड़े सत्ता व शक्ति सम्बन्धों, जाति, वर्ग संस्तरण, सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं, प्रथाओं व नियमों पर आधारित रही है।[17] वर्तमान समय में शिक्षा के बढ़ते प्रचार–प्रसार से ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। अध्ययन क्षेत्र के चयनित उत्तरदाताओं से जब प्रश्न किया गया कि क्या आप राजनीति में रूचि लेते हैं तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा जो बताया गया है, उसे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.9

राजनीति में रूचि लेने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	राजनीति में रूचि लेते हैं।	148	45.54
2.	राजनीति में रूचि नहीं लेते हैं।	109	33.53
3.	राजनीति में बहुत रूचि लेते हैं।	59	18.16
4.	कोई उत्तर नहीं।	9	2.77
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा राजनीति में रूचि लेने के सम्बन्ध मं 45.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वे राजनीति में रूचि लेते हैं। 33.53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि वे राजनीति में रूचि नहीं लेते हैं। 18.16 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे पाये गये जो राजनीति में बहुत अधिक रूचि रखते हैं। शेष 2.77 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में रूचि लेने अथवा न लेने के विषय में अपना कोई उत्तर नहीं दिया।

महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

यह सत्य है कि अब गाँवों में महिलाएँ, अध्यक्ष, सरपंच, ग्राम प्रधान, वार्ड मेम्बर, बी.डी.सी. मेम्बर, जिला पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आसीन हैं। पर यह जीत उन्हें बिना संघर्ष किए या आसानी से नहीं मिलती है। जो भी महिलाएँ चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में विजय प्राप्त करती हैं उनमें अधिकांशतः आरक्षित सीटें होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होती तो महिलाओं के लिए चुनाव लड़ना भी असम्भव होता।[18] आरक्षित सीटों पर जिन महिलाओं ने चुनाव जीते, उनका पक्ष सत्ताधारी पुरूषों ने ले लिया था, जिसके कारण उनको आजादी से अपना काम करने की छूट नहीं मिली। उत्तरदाताओं से जब शोधार्थिनी ने महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो इसके प्रत्युत्तर में उत्तरदाताओं द्वारा जो बताया गया, उसे निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.10

महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	उचित मानते हैं।	133	40.93
2.	उचित नहीं मानते हैं।	71	21.85
3.	महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर महिलाओं द्वारा चुनाव लड़ने को ही उचित	121	37.22

	मानते हैं।		
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने के सम्बन्ध में 40.93 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं को राजनीति में भाग लेने को उचित मानते हैं। 21.85 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के राजनीति में भाग लेने को उचित नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 37.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही महिलाओं द्वारा चुनाव लड़ना उचित है।

महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने की माँग के पीछे सिर्फ यही सोच रही है कि उनकी मौजूदगी बढ़े, बल्कि यह भी है कि राजनीतिक विचारों में उनकी भागेदारी हो, जिससे अवसरवादिता, लैगिंक भेदभाव दूर हो सके। राजनीतिक परिदृश्य में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले लोकसभा चुनाव में 11 प्रतिशत महिलाएं सांसद बन पायीं थीं। इसका मतलब यह हुआ कि 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद थी। आरक्षण की माँग और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक संगठन महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट नहीं दे रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक संगठन महिलाओं की अनदेखी कर रहे हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर पुरूषों का वर्चस्व ही कायम हैं।[19] महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई को मानने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तरों को निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका – 4.11

महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई मानने के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्रम संख्या	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सहमत हैं।	97	29.85
2.	सहमत नहीं हैं।	147	45.23
3.	कोई उत्तर नहीं	81	24.92
योग		**325**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई मानने के आधार पर 29.85 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई होती है। 45.23 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात पर सहमत नहीं हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई होती है। इसके साथ ही 24.92 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

चयनित अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं में उनकी राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि 26.77 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं। 22.46 प्रतिशत उत्तरदाता राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी नहीं करते हैं। 32.93 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में कभी–कभी भागीदारी करते हैं तथा 17.84 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम भागीदारी करते हैं। उत्तरदाताओं को राजनीतिक पार्टी के विषय में जानकारी होने के सम्बन्ध में 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी है। 24.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी है। 20.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है। 16.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी है। 10.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सभी राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानकारी है तथा 3.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं को किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है।

उत्तरदाताओं द्वारा किसी राजनीतिक संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण की है। 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में 27.39 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। 35.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 18.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से उनके गाँवों का विकास हुआ है। 15.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था से गाँवों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है तथा 4 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती राज व्यवस्था से उनकी स्थिति पर पड़े प्रभावों के विषय में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर 53.23 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता बढ़ी है। 35. 08 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीणों की राजनीति में सहभागिता नहीं बढ़ी है। इसके साथ ही 11.69 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में 60.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके साथ ही 11.69 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में 37.85 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। 46.46 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सामान्य है। 9.23 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तथा 6.46 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायती व्यवस्था में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

उत्तरदाताओं द्वारा चुनावों में अपने मतों का प्रयोग करने के आधारों के सम्बन्ध में 35.08 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्याशी के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। 52 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक दल के आधार पर मतदान करते हैं। 5.85 प्रतिशत उत्तरदाता किसी के कहने पर अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। जबकि 7.07 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी स्वयं की इच्छा के आधार पर मतदान करते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के सम्बन्ध में 33.85 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 43.08 प्रतिशत उत्तरदाता कभी–कभी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जबकि 23.07 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक गतिविधियों में कभी भी सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा राजनीतिक क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लेने के सम्बन्ध में 27.38 प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय राजनीति में रूचि लेते हैं। 45.85 प्रतिशत उत्तरदाता क्षेत्रीय राजनीति में रूचि लेते हैं। 19.39 प्रतिशत उत्तरदाता प्रान्तीय राजनीति में रूचि लेते हैं। 6.46 प्रतिशत उत्तरदाता राष्ट्रीय राजनीति में रूचि लेते हैं। इसके साथ ही 0.92 प्रतिशत उत्तरदाता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रूचि लेते हैं।

महिलाओं द्वारा राजनीति में भाग लेने को उचित मानने के सम्बन्ध में 40.93 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं को राजनीति में भाग लेने को उचित मानते हैं। 21.85 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं के राजनीति में भाग लेने की उचित नहीं मानते हैं। इसके साथ ही 37.22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही महिलाओं द्वारा चुनाव लड़ना उचित है। महिलाओं के लिए राजनैतिक क्षेत्र में कठिनाई मानने के आधार पर 29.85 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई होती है। 45.23 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात पर सहमत नहीं हैं कि महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में कठिनाई होती है। इसके साथ ही 24.92 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में अपना कोई उत्तर नहीं देते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एम.एल. एवं डी.डी. शर्मा (2019) – 'समाजशास्त्र – राजनैतिक प्रक्रियाएँ', प्रकाशन साहित्य भवन, आगरा, पृष्ठ–524
2. पूर्वोक्त।
3. बेतई, आन्द्रे (1965) – 'कास्ट एण्ड पावर चेन्जिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तन्जौर विलेज', पब्लिशर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया, पृष्ठ–201
4. कपाड़िया, के.एम. (1966) – 'भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार', पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बॉम्बे, पृष्ठ–282
5. अग्रवाल, श्वेता (2009) – 'ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्रीय अध्ययन', रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, पीएच.डी. शेध प्रबन्ध, पृष्ठ–220
6. चन्द्र, अखिलेश (2011) – 'ई–शासन से बेहतर हुआ गाँवों का प्रशासन', कुरूक्षेत्र, अंक–10, पृष्ठ–15
7. देसाई, ए.आर. (1969) – 'रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया', पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे, पृष्ठ–698
8. त्रिबंक, अलोने चन्द्रशेखर (2015) – 'बदलता ग्रामीण परिवेश', इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल, वोल्यूम–4, ईश्यू–12, पृष्ठ–4
9. https://www.mygov.in, 'ग्रामीण विकास'।

10. https://hiwikipedia.org, 'भारत के राजनैतिक दलों की सूची'।

11. वुड, एवलेन (1964) – 'कास्ट्स लेटैस्ट इमेज', इकोनॉमिक वीकली–16, पृष्ठ–951–952

12. श्रीनिवास, एम.एन. (1966) – 'सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया', लॉगमैन प्रा0लि0, दिल्ली, पृष्ठ–78

13. आर्या, मीना (2020) – 'पंचायती राज संस्थाएँ एवं महिला सशक्तिकरण : उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में'? जनरल ऑफ आचार्य नरेन्द्र देव रिसर्च इन्सटिट्यूट।

14. रेड्डी, जी.आर. (1974) – 'पंचायती राज एण्ड रूरल डेवलपमेंट', कॉरनैल यूनिवर्सिटी प्रेस, पृष्ठ–52

15. प्रसाद, पाण्डे गिरिजा एवं अन्य (2018) – 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम', उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी एम.ए.एस.ओ. 104, पृष्ठ–312

16. एल.एस.एस. (1974) – 'इंडियन कास्ट सिस्टम', विकास पब्लिकेशन, दिल्ली।

17. शर्मा, सी.एल. (2008) – 'लैगिंग पूर्वाग्रह बनाम औरत की बराबरी', युद्धरत आम आदमी, अंक–10, जनवरी– मार्च, पृष्ठ–64–56

18. समूह, अस्मिता (2008) – 'दलित महिलाओं के लिए पंचायती राज का सच', हम सबला, सितम्बर–अक्टूबर, पृष्ठ : 8–10

19. https://www.epw.in. Journal 'राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व', Vol. 54, Issue-18, 04 मई, 2019